UPSI010068002021

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित – आशीष जैन (एच०जे०एस०)
(**J.O.Code UP02024**)
सत्र परीक्षण संख्या–10/2022
CIS No.10/2022

सरकार उ0प्र0 ——अभियोजक।

बनाम

1. रामसुत पुत्र श्रीपाल लोनिया
2. श्रीपाल लोनिया पुत्र भगवानी
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्रीपाल

सर्वनिवासीगण ग्राम स्वामीनाथपुरवा मजरा मानपुर इटिया थाना थानगॉव जिला सीतापुर।

——अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–206/2020
धारा–498ए,323,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना– थानगॉव जिला–सीतापुर।
अधिवक्तागण :–
राज्य की ओर से :
श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला,D.G.C.Crl.
श्री गौरव कुमार मिश्रा(ए.डी.जी.सी.(क्रिमि.)
बचाव पक्ष की ओर से :
श्री भूपेन्द्र सिहं (एड.)

निर्णय

थाना थानगॉव जनपद सीतापुर की पुलिस द्वारा **अभियुक्त रामसूत** के विरूद्व आरोप पत्र मुकदमा अपराध संख्या 206/2020 अर्न्तगत **धारा 498ए,323,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट एवं अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी** के विरूद्व आरोपपत्र अर्न्तगत धारा **498ए,323 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट** के तहत ततकालीन न्यायालय न्यायिक मजिट्रेट प्रथम, सीतापुर, को प्रेषित किया गया जिसे विचारण हेतु न्यायालय सप्तम् अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा दिनॉक 24.11.2021

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.06.29 16:17:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP.

को सत्र सुपुर्द किया गया है।

अभियोजन कथानक तहरीर (प्रदर्श क–1) के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रोहनी देवी पुत्री प्रेम लोनिया ग्राम बम्भिया थाना रेउसा जिला सीतापुर द्वारा हस्तलिखित प्रार्थनापत्र दिनॉक 26.06.2020 को थाना थानगॉव में इस आशय का दिया गया है कि वादिनी की शादी उसके माता–पिता ने राम सुधि पुत्र श्रीपाल लोनिया ग्राम स्वामीनाथन पुरवा मजरा मानपुर इटिया थाना थानगाँव के साथ करीब 06 वर्ष पूर्व किया था। वादिनी का पति राम सुधि व ससुर श्रीपाल व सास दहेज के कारण नाजायज मारते–पीटते व प्रताड़ित करते रहे हैं। दहेज में मोटरसाइकिल, भैंस व डबल बेड माँगते हैं। दिनांक 24.06.2020 को समय 7.00 बजे शाम को उसे उसके पति ने मारा–पीटा था तथा जान से मारने की नीयत से गले में रस्सी बाँध कर कस दिया था। गाँव वालों ने छुड़ाया तो उसका पति जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। वादिनी द्वारा थाने पर पहुँचकर रिपोर्ट लिखाकर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना थानगॉव की पुलिस द्वारा मामले में कायमी रपट संख्या 62 समय 18.25 बजे दिनॉक 26.06.2020 पर ,खुलासा जी.डी. में किया गया । तदुपरान्त चोटहिल रोहिनी देवी के शरीर पर आयी चोट के मेडिकल हेतु सी.एच.सी.रेउसा भेजा गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 अभियुक्तगण रामसुत, ससुर श्रीपाल एवं सास के विरूद्व धारा 498ए,323,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट थाना थानगॉव जिला सीतापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 एवं फर्द बरामदगी प्रदर्श क–6 एक अदद नायलान की रस्सी कब्जे में लिया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्त **रामसुत** के विरूद्व आरोप पत्र प्रदर्श क–7 मुकदमा अपराध संख्या 206/2020 अर्न्तगत **धारा 498ए,323,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट एवं अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी** के विरूद्व आरोपपत्र अर्न्तगत **धारा 498ए,323 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट** न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्त रामसुत के विरूद्व विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 04.05. 2022 को आरोप अंतर्गत धारा 498ए,323/34,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 डी.

पी.एक्ट एवं अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी के विरूद्व आरोप अर्न्तगत धारा 498ए,323/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 डी.पी.एक्ट का विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया, समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने केस के समर्थन में निम्नांकित अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये है:–

1–	अभियोजन साक्षी संख्या–1	रोहिनी देवी वादिनी मुकदमा
2–	अभियोजन साक्षी संख्या–2	प्रेम कुमार
3–	अभियोजन साक्षी संख्या–3	प्रेम कुमारी
4–	अभियोजन साक्षी संख्या–4	डा0 ललित कुमार, चिकित्सीय परीक्षण
5–	अभियोजन साक्षी संख्या–5	महिला आ0 संगीता देवी,
6–	अभियोजन साक्षी संख्या–6	उ0नि0 संदीप तिवारी विवेचक

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये है:–

1–	तहरीर प्रदर्श क–1	(पी0डब्लू–1 वादिनी मुकदमा)
2–	चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श क–2	(पी0डब्ल्यू–4 डा0 ललित कुमार)
3–	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक–3	(पी0डब्लू05 सगीता देवी)
4–	जी0डी0 प्रदर्श क–4	(पी0डब्लू05 सगीता देवी)
5–	नक्शा नजरी प्रदर्श क 5,	(पी0डब्लू06 विवेचक)
6–	फर्द बरामदगी प्रदर्श क–6	(पी0डब्लू06 विवेचक)
7–	आरोप पत्र प्रदर्श क–7	(पी0डब्लू06 विवेचक)

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 29.05.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत व निराधार बताते हुये विवेचक द्वारा विवेचना त्रुटिपूर्ण किया जाना कहा है। अभियुक्तगण ने साक्षीगण द्वारा रंजिशवश साक्ष्य दिया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया गया है तथा रंजिश के कारण उक्त मुकदमें में फॅसाया जाना कहा है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई में साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया गया है।

मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रामसुत का विचारण धारा 498ए,323/34,506,307 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत एवं अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी का विचारण अर्न्तगत धारा 498ए,323/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 डी.पी.एक्ट के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये आरोपित करते हुये विचारण किया गया है।

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतयाः तय सिद्वान्त है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिये।

उक्त के संदर्भ में प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के अभिकथनों के बाबत दिये गये तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी साक्षियों के अभिकथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसका कमवार विवरण अग्रवत है :–

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01 वादिनी मुकदमा रोहनी देवी** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरी शादी आज से लगभग नौ वर्ष पूर्व रामसुत के साथ हुई थी, शादी के बाद मै बिदा होकर रामसुत के घर गयी थी, कुछ दिनो बाद रामसुत व उनके ससुर व सास गीता देवी दहेज में मोटर सायकिल व भैंस न लाने का उलाहना देने लगें उक्त मांग के सम्बन्ध में मैने अपने माता पिता को बताया तो माता पिता ने गरीबी का हवाला देते हुये मांग पूरी करने में असमर्थता व्यक्त की तो उपरोक्त लोग नहीं माने और जान से मारने की नियत से मारा पीटा। जिससे मुझे चोटे आयी थी चोटो की डाक्टरी कराई थी। इस सम्बन्ध में मैंने थाना थानगांव जाकर मैंने थाने के बाहर बैठे एक व्यक्ति से घटना के बारे में बताकर प्रार्थना पत्र लिखवाया था लिखने वाले ने पढकर सुनाया था, उसके बाद मैने अपना निशानी अंगूठा लगाकर थाने पर दिया जिस पर मुकदमा लिखा गया था। साक्षी को शामिल पत्रावली प्रार्थना पत्र दिखाया व पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैने थाने पर दिया था, साक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित

तथ्यों एवं निशानी अंगूठा की पुष्टि किये जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस द्वारा मुझसे पूछताछ की थी तथा मेरी निशांदेही पर पुलिस ने मौके का नक्शा नजरी तैयार किया था।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02 प्रेम कुमार** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मैंने अपनी बेटी की शादी आज से लगभग 14–15 वर्ष पूर्व रामसुत के साथ अपनी हैसियत के अनुसार उपहार स्वरूप सामान देकर की थी, दिये गये दान–दहेज से मेरा दामाद रामसुत व उसके पिता श्रीपाल तथा उसकी माता खुश नहीं थे। कम दहेज की बात को लेकर मारते–पीटते व प्रताड़ित करते थे। अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल, भैंस व डबल बेड की माँग करते थे। कई बार मैंने बेटी के ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर अड़े रहे। घटना आज से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा मार–पीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से उसके गले में रस्सी बाँध कर कस दिया, जिससे उसके गले में चोट आई थी। उसके बाद मेरी बेटी का चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल रेउसा में हुआ था। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। इलाज के बाद मेरी बेटी बच गई थी।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03 प्रेम कुमारी** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मैने अपनी बेटी रोहिनी देवी की शादी लगभग 14–15 साल पहले रामसुत पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम स्वामीनाथ पुरवा मजरा मानपुर थाना थानगाँव जनपद सीतापुर के साथ अपनी हैसियत के अनुसार उपहारस्वरूप दान दहेज देकर किया था। दिये गये दान दहेज से मेरी पुत्री की ससुराल वाले खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल, भैंस व डबल बेड की माँग करते थे। माँग पूरी न होने पर मेरी बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया करते थे। मेरी बेटी को मारते पीटते थे और मारपीट कर घर से भगा देते थे। मेरी बेटी परेशान होकर मुझको अपनी बीती हुयी सारी बाते मायके आने पर बताती थी तथा उपरोक्त अतिरिक्त दहेज की माँग के बारे में भी बताती थी। हम लोग अपनी पुत्री के भविष्य को देखते हुये हर बार समझा बुझाकर ससुराल भेज देते थे तथा ससुरालीजनों को समझाते थे कि हम लोग गरीब है, इतना दहेज कहाँ से दे पायेगे तो ससुरालीजन

नहीं माने और उसके साथ मारपीट आदि करते रहे। घटना दिनांक 24.06.2020 की शाम की है, मेरी पुत्री रोते हुये घर आयी उसके साथ उसके बच्चे भी थे और उसने रोते हुये कहा कि मैं अब अपनी ससुराल कभी नही जाऊँगी, क्योंकि मेरे पति के द्वारा मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे गले में रस्सी बाँधकर कस दिये थे। मैं मरते–मरते बची। जब मैनें और मेरे पति ने अपनी बिटिया की गर्दन को देखा तो गले पर चोट का निशान मौजूद था। इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर थाने पर गयी। थाने पर घटना की सूचना मेरी बेटी रोहिनी के द्वारा थाना थानगाँव पर दी गयी थी। उसके बाद मेरी बेटी को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रेउसा ले जाया गया था जहाँ मेरी बेटी का इलाज हुआ था। घटना के बारे में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। ''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू04 डा0 ललित कुमार, हिन्द मेडिकल कॉलेज मऊ अटरिया जिला सीतापुर** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मैं दिनांक 26.06.2020 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा में बतौर चिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत था। उस दिन दिनांक 26.06.2020 को समय 08.25 पी०एम० पर चोटहिल रोहिनी देवी पुत्री प्रेम लोनिया निवासी ग्राम बम्भिया थाना रेउसा जिला सीतापुर को महिला कां० सुनीता के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेरे समक्ष लाया गया था जिसको थाना थानगॉव के द्वारा मजरूबी चिटठी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। चोटहिल का मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। चोटहिल के गले पर एक चोट आना अंकित है। चोटहिल के गले पर एक चोट का निशान मौजूद था जो गर्दन के आगे की तरफ मौजूद था। चोट का आकार 7 से 8 से०मी० लम्बा और 2 से 3 एम०एम० चौडा था और चोट का निशान लगभग तीन दिन पुराना लग रहा था। मैने चोटहिल का दाहिने हाथ का निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। मेरी राय में यह चोट रस्सी से खींचकर या हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना सम्भव है। चोट की प्रकृति सामान्य लग रही थी। शामिल पत्रावली रोहिनी देवी की चिकित्सीय आख्या मेरे द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पुष्टि करने के पश्चात् मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू05 महिला आरक्षी संगीता देवी** द्वारा अपनी

सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

'' दिनांक 26.06.2020 को मैं थाना थानगॉव जिला सीतापुर में थाना कार्यालय में तैनात थी। उस दिन मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय में पर लगी थी। उस दिन थाना कार्यालय में वादिनी रोहिनी देवी पुत्री प्रेम लोनिया निवासी ग्राम बम्भिया थाना रेउसा जिला सीतापुर एक किता हस्तलिखित प्रार्थना पत्र लेकर मेरे समक्ष उपस्थित आयी थी जिस पर प्रार्थिनी का निशानी अंगूठा लगा हुआ था जिस पर थानाध्यक्ष का पृष्ठांकन था। जिसके आधार पर मैने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर कां० मो० तौफीक से टाइप कराकर चिक किता करायी थी जिसका मु०अ०सं० 206/2020 अर्न्तगत धारा 498ए, 323, 506, 307 भा०दं०वि० व 3/4 दहेज प्रतिषेद्य अधि० बनाम रामसुधि, श्रीपाल व वादिनी की सास के विरूद्ध कायम किया गया था। जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जिसको मैं प्रमाणित करती हूँ। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उक्त मुकदमें खुलासा जी०डी० नं० 62 दिनांक 26.06.2020 समय 18.25 बजे किया गया था जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है। जिसको मैं प्रमाणित करती हूँ। जी0डी0 पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उक्त मुकदमा किता किये जाने के बाद मुकदमें से सम्बन्धित प्रपत्र विवेचक को विवेचना हेतु प्राप्त करा दिये थे। विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू06 उ0नि0 संदीप तिवारी** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

'' दिनांक 27.06.2020 को थाना कार्यालय से मु0अ0सं0 206/2020, अन्तर्गत धारा 498ए,323,307,506 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट की विवेचना प्राप्त हुई। साक्षी ने पर्चा नं01 दिनांक 27.06.2020 को किता किया जाना तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा–नजरी तैयार किया जाना, जिसे प्रदर्श क–5 के रूप में अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में होना प्रमाणित किया गया है। साक्षी द्वारा फर्द पर प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया। साक्षी द्वारा तमामी विवेचना व बयान गवाहान आदि के आधार पर अभियुक्त रामसुत के विरूद्ध धारा 498ए,323,506,307भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0पी0एक्ट का अपराध एवं अभियुक्तगण श्रीपाल व श्रीमती गीता के विरूद्ध धारा 498ए,323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0पी0एक्ट का अपराध बखूबी साबित किया है, जिसका आरोप पत्र सं०187/2020 को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।''

राज्य की ओर से **विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने बहस** के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन ने अपना केस पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन के तथ्य के साक्षी वादिनी मुकदमा पी0डब्लू01 एवं पी0डब्लू02 व पी0डब्लू03 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा की गयी विस्तृत जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जो अभियोजन कथानक के प्रतिकूल हो। पी0डब्लू–1 व 2 व 3 के विश्वसनीय व सत्यनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया जा सकता है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा घटना के पश्चात् ही तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता व सत्यता को बल मिलता है तथा उसमें किसी प्रकार की सलाह–मशविरा की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा के चिकित्सीय परीक्षण से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा को जान से मारने की नियत से गले में रस्सी बॉधकर कस दिये जाने के कारण गम्भीर चोट आयी है। वादिनी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। अभियुक्तगणों के विरूद्ध घटना के तथ्य को सही पाते हुए विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। अतः उपरोक्त समस्त आधार पर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपना केस युक्तियुक्त सदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित करने की याचना किया है।

अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता** ने अभियोजन कथानक को मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होना बताया तथा अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित करना नहीं बताया है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्यो के साक्षीगण ने अपनी जिरह में घटना का समर्थन नही किया है बल्कि जिरह में पी0डब्लू04 द्वारा कथन किया गया है कि मजरूब को चोट रस्सी से खीचकर या हार्ड एंड ब्लंट आबजेक्ट से आना तथा सामान्य प्रकृति की होना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि गले पर चोट का निशान स्वयं द्वारा

या अन्य द्वारा भी आ सकता है जिससे कथित घटना संदेहास्पद है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाय।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के तथ्यों के साक्षीगणों के बयानों में महत्वपूर्ण व तात्विक विरोधाभाष है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः ऐसे अविश्वसनीय व असत्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं होगा। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना किया है।

प्रश्नगत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जिसमें अभियुक्तगण की उपस्थित व संलिप्तता साक्ष्य से साबित है, जैसा कि अभियोजन कथानक है ? उक्त के सम्बंध में यह भी विचारणीय है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना अस्तित्व में रही है तो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो से युक्ति युक्ति ढंग से एवं सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

उपरोक्त आवश्यक तत्वों के आलोक में अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्षीगणों के बयानों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू01 के रूप में वादिनी मुकदमा रोहनी देवी** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित कथनो के परिप्रेक्ष्य में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** की गयी है। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि **शादी के बाद उसके पति रामसुत व ससुर श्रीपाल व सास गीता देवी ने कम दहेज लाने का कोई उलाहना नहीं दिया था और न मोटरसाइकिल व भैंस की मांग की थी और न ही उसे मारा पीटा था और न ही उसने अपने घर वालो को कोई अतिरिक्त दहेज वाली मांग बतायी थी।** उसके पति व सास, ससुर ने उसे हमेशा राजी खुशी रखा और कभी कोई तकलीफ नहीं दी। **घटना वाली रात उसके पति, सास, ससुर शादी में गये थे और उसी रात करीब आठ बजे दो–तीन बदमाश घुस आये और वह लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और रस्सी को गले में डालकर मार देना चाहते थें** जिससे उससे गले में चोट आयी थी, जिसकी डाक्टरी उसने सरकारी अस्पताल रेउसा में करायी थी। उपरोक्त मुलजिमानो ने उसे मारा पीटा नहीं था। उसने प्रार्थना

पत्र लिखने वाले को मारपीट करने में रामसुत व सास, ससुर का नाम नहीं बताया था उसने कैसे लिख दिया, वह नहीं बता सकती क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है, आगे साक्षी ने कथन किया है कि लिखने वाले में उसे तहरीर पढकर नहीं सुनाई थीं। पुलिस ने उससे कुछ सादे कागजो पर निशानी अंगूठा लगवा लिया था, उसमें क्या लिखा, वह नहीं बता सकती। उसके सामने कोई बरामदगी पुलिस द्वारा नहीं की गयी थी न ही कोई सामान कब्जे में लिया था। साक्षी को 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वह नहीं बता सकता। **पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था एवं उसके सामने नक्शा नजरी नहीं बनाया था।** इस साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित तथ्यो एवं अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दी गयी है। साक्षी द्वारा तहरीर में अपने पति एवं सास ससुर द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित किया जाना तथा मॉग पूरी न होने पर जान से मारने की नियत से अभियुक्त रामसुत द्वारा गले में रस्सी डालकर गला दबाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का उल्लेख किया गया है जब कि साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त घटना का उल्लेख नही किया गया है। **साक्षी द्वारा जिरह में एक नई घटना का समावेश किया गया है जिसके अनुसार घटना वाली रात उसके पति, सास, ससुर शादी में गये थे और उसी रात करीब आठ बजे दो–तीन बदमाश घुस आये और वह लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और रस्सी को गले में डालकर मार देना चाहते थें जिससे उससे गले में चोट आयी थी।** इस साक्षी के साक्ष्य से कथित घटना अस्तित्व में होना संदिग्ध होने पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू02 के रूप में प्रेम कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जो कि वादिनी मुकदमा के पिता है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना के सम्बंध में विरोधभाषी कथन किये गये है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि **अभियुक्तगण ने उससे कभी अतिरिक्त दहेज की मॉग नही की गयी थी और न ही उसकी लड़की को मारा पीटा था।** आगे साक्षी ने कथन किया है कि **घटना वाली रात करीब 8–9 बजे रात में 2–3 बदमाश रोहिनी के घर में घुस गये और उसके गले में रस्सी डालकर मार देना चाहते थे जिससे उसके गले में चोट आयी थी।**

साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि रोहिनी देवी द्वारा उपरोक्त मुल्जिमानो द्वारा उसे कभी अतिरिक्त दहेज की मॉग वाली बात व प्रताड़ित करने वाली बात व धमकी देने वाली बात नही बतायी थी। साक्षी ने विवेचक द्वारा बयान लिये जाने से इंकार किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी कथित घटना का चश्मदीद साक्षी नही है। साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है जिससे अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता भी साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू03 के रूप में प्रेम कुमारी** को परीक्षित कराया गया है, जो कि वादिनी मुकदमा की माता है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना दिनॉक 24.06.2020 की बतायी है तथा वादिनी मुकदमा के द्वारा कथित घटना के बाद अपने मायके आना तथा उक्त साक्षी को कथित घटना बताया जाना कहा है। **इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह अपनी पुत्री/पीड़िता को लेकर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी किन्तु वादिनी मुकदमा पी0डब्लू01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं तहरीर में कथित घटना घटित होने के पश्चात स्वयं अकेले थाने जाने का कथन किया गया है।** इस साक्षी का साक्ष्य वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर एवं मुख्य परीक्षा में किये गये कथनो के विपरीत विरोधाभाषी होने के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी द्वारा शादी में कोई भी दहेज की मॉग नहीं किया जाना कहा है तथा आगे जिरह में कथन किया है कि **उसकी बेटी के पति रामसुत, ससुर श्रीपाल व सास गीता देवी द्वारा कभी अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस व डबल बेड की मॉग नहीं की गयी और न ही उसकी बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। दोनो के बीच में कभी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ था और न ही रामसुत के द्वारा जान से मारने की नीयत से उसकी बेटी का गला नहीं दबाया गया और न ही कभी उसके साथ मारपीट की गयी।** इससे स्पष्ट है कि साक्षी द्वारा कथित घटना को अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने से इंकार किया है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसकी बेटी ने उपरोक्त अतिरिक्त दहेज की माँग के बारे में कभी नहीं बताया। आगे जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि **घटना वाले दिन उसकी बेटी घर में अकेली थी। ससुर श्रीपाल व सास गीता देवी रिश्तेदारी में शादी में गये हुए थे। दरोगाजी ने**

उससे कभी कोई पूछताछ नहीं किया था। दरोगाजी ने उसका बयान कैसे लिख लिया वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। **वह अपनी बेटी के साथ थाने नहीं गयी थी।** इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता भी साबित नही होती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू04 के रूप में डा0 ललित कुमार** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मजरूबा वादिनी मुकदमा के गले पर आगे की तरफ एक चोट का निशान मौजूद होना कहा गया है तथा चोट का आकार 7 से 8 सेमी0 लम्बा और 2 से 3 एम.एम० चौडा होना तथा चोट का निशान लगभग तीन दिन पुराना होने का कथन किया है। साक्षी द्वारा अपनी राय में यह चोट रस्सी से खींचकर या हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना सम्भव होना कहा है तथा चोट की प्रकृति सामान्य बताया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि **गर्दन के पीछे की तरफ कोई निशान नहीं था, आगे की तरफ निशान था। गले पर चोट का निशान स्वंय द्वारा भी आ सकती है या अन्य व्यक्ति के द्वारा पहुँचायी जा सकती है।** इस साक्षी के चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू05 के रूप में महिला आरक्षी संगीता देवी** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन प्रपत्र चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 एवं जी0डी0 को प्रदर्श क–4 के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवकता द्वारा जिरह की गयी है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके साक्ष्य से मात्र अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यो के साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के बयान का कोई लाभ अभियोजन को नही दिया जा सकता है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू06 उ0नि0 संदीप तिवारी** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा प्रश्नगत मामले की विवेचना की गयी है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, बरामद रस्सी की फर्द प्रदर्श क–6 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कथन

किया है कि उसने वादिनी से मुकदमा से बिलम्ब से लिखाने के बारे में पूछताछ नहीं की थी। साक्षी द्वारा साक्ष्य के समय फर्द से सम्बन्धित माल उपलब्ध नहीं होने का कथन किया है। साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो और अभियुक्तगणो के विरूद्ध फर्जी आरोप पत्र दाखिल किया हो। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नही होती है।

ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त समीक्षा से न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त रामसुत एवं अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता गीता देवी द्वारा वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मॉग किये जाने तथा मॉग पूरी नही होने पर प्रताडित किये जाने तथा गले में जान से मारने की नियत से रस्सी बॉधकर हत्या किये जाने का प्रयास किये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्त रामसुत, अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता गीता देवी को आरोपित अपराध से दोष मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामसुत को धारा 498ए,323/34,307,506 भा0द0सं0 एवं धारा 4 डी.पी.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त श्रीपाल एवं अभियुक्ता गीता देवी को धारा 498ए,323/34 भा0द0सं0 एवं धारा 4 डी.पी.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें व व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः 29.06.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

CNR:UPSI010068002021

District & Sessions Judge
Sitapur.

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 29.06.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

अजीत.